न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**

आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रिलायन्स कॉमर्शियल फाईनेन्स लि0 शाखा कार्यालय 6 फ्लोर प्लॉट नंबर सी 44 मन उपासना सरदार पटेल मार्ग सी-स्कीम जयपुर (राजस्थान) जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री नरेन्द्रसिंह		1.सरस्वती विधा मन्दिर शिक्षण समिति मालवाडा जरिये सैकेट्री श्रीमति झीणी देवी गांव फतापुरा ग्राम पंचायत मालवाडा भीनमाल 2.श्रीमती झीणी देवी पत्नी भंवरलाल निवासी मालियो का बास फतापुरा मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर 3.श्रीमती अम्बादेवी पत्नी हजारी 4.भवरलाल पुत्र मानाराम 5.मानाराम पुत्र भीमाराम 6.हजारीमल पुत्र मानाराम निवासी मालियो का बास फतापुरा मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

विविध प्रकरण संख्या 26/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

.....

अधिवक्ता:-श्री ललित कुमार माली, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक:- 31.10.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक ने निवेदन किया कि कम्पनी नियामक अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कम्पनी है जिसकी शाखा कार्यालय रिलायन्स कॉमर्शियल होम फाईनेन्स लिमिटेड शाखा कार्यालय 6"फ्लोर प्लॉट नंबर सी 44 मन उपासना सरदार पटेल मार्ग सी-स्कीम जयपुर (राजस्थान) पर स्थित है, माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 09.12.2016 के आदेशानुसार रिलायन्स केपिटल लिमिटेड का नाम परिवर्तित होकर रिलायन्स कॉमर्शियल फाईनेन्स लिमिटेड हो गया है, जिस कारण रिलायन्स कैपिटल लिमिटेड के तमाम डयूज,दायित्व वसूली के अधिकार रिलायन्स कॉमर्शियल फाइनेन्स लिमिटेड को प्राप्त हो गये है।प्रार्थी कम्पनी की गतिविधिया एवं उससे संबंधित क्षेत्र जिसमें वित्तीय क्षेत्र सम्मिलित है,का कार्य कररती है एवं प्रार्थी कम्पनी की ओर से श्री नरेन्द्रसिंह को श्रीमान के समक्ष समस्त कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया है।इस प्रकार प्रार्थी कम्पनी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने प्लीडिग्स एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने एवं प्रार्थी कम्पनी के हक में प्रार्थना पत्र से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया है।इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र उक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने रिलायन्स कॉमर्शियल फाइनेन्स लिमिटेड से दिनांक 28.02.2017 को जरिये वाईड एग्रीमेंट नंबर RLEFJAI000336145 निष्पादित कर ऋण राशि 2,50,00,000/रूपये अक्षरो (दो करोड पचास लाख रूपये)का ऋण लिया था।अप्रार्थी संख्या 4 श्री भंवरलाल पुत्र मानाराम माली व अप्रार्थी संख्या 6 हजारीमल माली पुत्र मानाराम माली ने उक्त ऋण मय व्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपने नाम से रजिस्टर्ड अचल संपत्ति खसरा नंबर 567/556, 585/556, 601/589, 602/590, 556/21, 589/556, 590/556 एवं खसरा नंबर 242 स्थित ग्राम फतापुरा ग्राम पंचायत मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर को ऋणदाता कम्पनी के पास रहन किया और उसपर निर्मित तामीरात को भी ऋणदाता कम्पनी के पक्ष में आडमान किया।अप्रार्थी संख्या 1 ने नियमित रूप से ऋणदाता कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नही किया

और दिनांक 18.09.2018 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए घोषित कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के उक्त ऋण खाते में बकाया रूपये 2,51,50,265/रूपये (अक्षरो दो करोड इक्यावन पचास हजार दौ सो पैसठ रूपये)दिनांक 05.02.2019 तक अलावा व्याज देय निकलते है और इस राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 जिम्मेदार है।प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण को उक्त एक्ट की धारा 13(2)के अन्तर्गत दिनांक 06.2.2019 को रजिस्ट्री नोटिस उनके ज्ञात पतो पर प्रेषित किये गये जो कि अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये।तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को पजेशन नोटिस अन्तर्गत धारा 13(4)दिया जाकर उसका दैनिक समाचार पत्र विराट वैभव के हिन्दी संस्करण एवं द इण्डियन एक्सप्रेस के अग्रेजी संस्करण में दिनांक 23.04.2019 को भी प्रकाशन करवाया गया है।धारा 13(2)के नोटिस की रजिस्ट्री की रसीदे इण्डिया पोस्ट की ट्रेकिंग रिपोर्ट एवं पजेशन नोटिस अन्तर्गत धारा 13(4)के अखबार में प्रकाशन की सूचना की प्रतियां पत्रावली के साथ संलग्न है जिनकी जानकारी व प्राप्ति के पश्चात भी प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा नही करवायी गई है। ना ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिया गया है।अप्रार्थी संख्या 4 श्री भवंरलाल पुत्र मानाराम माली एवं अप्रार्थी संख्या 6 हजारीमल माली पुत्र मानाराम माली द्वारा ऋणदाता कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिये जो सम्पति रहन रखी है उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन रखे दस्तावेज के अनुसार विवरण इस प्रकार है सम्पति खसरा नंबर 567/556, 585/556, 601/589, 602/590, 556/21, 589/556, 590/556 स्थित ग्राम फतापुरा,ग्राम पंचायत मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर (राज.)में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर है।पूर्व में: मानाराम एवं नेथीराम की भूमि पश्चिम में: भूराजी एवं मानाराम की भूमि उत्तर में:मानाराम की भूमि दक्षिण में: रानीवाडा भीनमाल मुख्य सडक। सम्पति खसरा नंबर 242 स्थित ग्राम फतापुरा ग्राम पंचायत मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1254 वर्गमीटर है।पूर्व में:बाबूलाल की शेष भूमि, पश्चिम में :ठाकुर अमरसिंह/दुर्जनसिंह की भूमि, उत्तर में: आम सडक, दक्षिण में: गणपतसिंह/लक्ष्मणसिंह की भूमि। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी कम्पनी को नही किया है।उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उक्त चरण संख्या 5 में वर्णित सिक्युरिटी रहनशुदा सम्पति को व आडमान किये गये सामान का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।अत:प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त वर्णित अचल संपति खसरा नंबर 567/556, 585/556, 601/589, 602/590, 556/21, 589/556, 590/556 एवं खसरा नंबर 242 स्थित ग्राम फतापुरा ग्राम पंचायत मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर में स्थित है व आडमान किये गये सिक्योरिटी जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 मे दिया गया है कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करे।

पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी रिलायन्स कामर्शियल फाइनेन्स लिमिडेट से 2,50,00,000/- अक्षरे (दो करोड पचास लाख रूपये) का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी रिलायन्स फाइनेन्स कम्पनी के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी रिलायन्स फाइनेन्स कम्पनी द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये अधिनियम की धारा 13(2) के तहत् 06.02.2019 को समस्त अप्रार्थीगण को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनो में 2,51,50,265/रूपये (अक्षरो दो करोड इक्यावन पचास हजार दौ सो पैसठ रूपये) जिसमें दिनांक 05.02.2019 तक का ब्याज सम्मिलित है। अप्रार्थीगण ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के व अखबार में प्रकाशित करने के बावजुद भी रिलायन्स फाइनेन्स कम्पनी की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है।

प्रार्थी की ओर से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया कि वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:-(1) **प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियो का विकय या अन्तरण प्रतिभूत**

लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत किये जाने की आवश्यकता हो,तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा,ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगा। (2) उप धारा (1) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में आवश्यक होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक,जालोर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति संपतियो, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना भीनमाल को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.11.26 12:05:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: